



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102021-230345
CG-DL-E-11102021-230345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3846]

No. 3846]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4189(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि कांडला-गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना के अन्तर्गत पेट्रोलियम खनिज उत्पाद के परिवहन हेतु कांडला से गोरखपुर तक आई.एच.बी. लिमिटेड द्वारा मध्यप्रदेश में पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए

और केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के अन्दर भूमि के भीतर पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उपयोग के अधिकार के अर्जन के लिए सक्षम प्राधिकारी आई.एच.बी. लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला : भोपाल		राज्य : मध्य प्रदेश			
तहसील	गाँव का नाम	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
हुज़ूर	झिरनिया	83	00	06	96
		86	00	09	46
		87	00	00	76
		88	00	03	93
हुज़ूर	राजीवनगर	109	00	04	99
		111	00	00	72
		172,173,174,175,176, 177,178,179,180,181,182	00	19	41
		162,166,170,171	00	22	15
		152	00	06	51
		153,154,155,156, 157,158,159,160,161,162, 163,164, 166,167,169, 170,171	00	50	15
		151	00	00	20
		146	00	13	97
हुज़ूर	बकानिया	646	00	03	85
		265	00	01	74
		490	00	04	37
		491	00	02	83
		460	00	01	47
		379	00	08	19
		335	00	06	59
		386	00	04	12
		388	00	06	81
		389	00	03	14
		387	00	00	20
		391	00	00	20
		390	00	00	45
		394	00	10	37
		377	00	02	27
		395	00	07	65
		396	00	14	06

		373	00	12	79
हुज़ूर	खौरी	734	00	00	20
		738	00	06	12
हुज़ूर	कोलूखेड़ी	99	00	01	65
		96	00	20	07
		67	00	00	60
हुज़ूर	धामनिया	67	00	05	46
		62	00	10	76
		126	00	14	83
		89	00	28	11
		96	00	12	20
हुज़ूर	रतनपुर	595	00	04	88

[फा. सं. आर-11025(15)/5/2020-ओ.आर-आइ/ई-33881]

पी. सोमकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 2021

S.O. 4189(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of Petroleum Product from Kandla to Gorakhpur in the state of Madhya Pradesh a pipeline should be laid by IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land describe in the said schedule may, within twenty one days from the date on which copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, KGPL Project IHB Limited, M.P. state Bhopal.

SCHEDULE

District : Bhopal		State : Madhya Pradesh			
Name of Tehsil	Name of Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Square Meter
Huzur	Jhirniya	83	00	06	96
		86	00	09	46
		87	00	00	76
		88	00	03	93
Huzur	Rajivnagar	109	00	04	99
		111	00	00	72

		172,173,174,175,176, 177,178,179,180,181,182	00	19	41
		162,166,170,171	00	22	15
		152	00	06	51
		153,154,155,156, 157,158,159,160,161,162, 163,164, 166,167,169, 170,171,	00	50	15
		151	00	00	20
		146	00	13	79
Huzur	Bakaniya	646	00	03	85
		265	00	01	74
		490	00	04	37
		491	00	02	83
		460	00	01	47
		379	00	08	19
		335	00	06	59
		386	00	04	12
		388	00	06	81
		389	00	03	14
		387	00	00	20
		391	00	00	20
		390	00	00	45
		394	00	10	37
		377	00	02	27
		395	00	07	65
		396	00	14	06
		373	00	12	79
Huzur	Khori	734	00	00	20
		738	00	06	12
Huzur	Kolukhedi	99	00	01	65
		96	00	20	07
		67	00	00	60
Huzur	Dhamaniya	67	00	05	46
		62	00	10	76
		126	00	14	83
		89	00	28	11
		96	00	12	20
Huzur	Ratanpur	595	00	04	88

[F. No. R-11025(15)/5/2020-OR-I/E-33881]

P. SOMAKUMAR, Under Secy